राजस्व लोक अदालत केम्प माजीवाला तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 21 / 2018

अपीलांण्टगण बनाम रेस्पोडेन्ट

1. वरजू देवी पत्नि नारायण चौधरी सा पारलू

1. सरपंच ग्राम पचायत पारलू
2. दानाराम पुत्र पूनमाराम
3. घेवरराम पुत्र नारायणराम
4. उमाराम पुत्र राणाराम
5. खंगाराराम पुत्र करनाराम चौधरी

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः—17.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत माजीवाला में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट वरजूदेवी ने प्रार्थना पत्र. पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पारलू में संयुक्त खातेदारी आई हुई है । उक्त भूमि ख0न0 133, 134, 135,व 136 का नामान्तरकरण संख्या 1060 दर्ज करते समय मेरे पति नारायणराम की पहली पत्नि का नाम धनकी देवी दर्ज कर दिया है । जबकि धनकीदेवी का स्वर्गवास मेरे पति के जीवत रहते हुए हो गया था। अतः मेरा नाम मेरे पति के पहली पत्नि धनकीदेवी फौत होने पर उसके स्थान पर वरजूदेवी नाम दर्ज किया जाए व मेरा पुत्र घेवरराम पुत्र नारायणराम का नाम यथावत रखा जाने का निवेदन किया गया।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी पारलू/ सरपच ग्राम पंचायत पारलू/ उपस्थित गवाहो के ब्यान अनुसार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार नारायणराम पुत्र करना के निधन के उपरान्त उसकी जीवित पत्नि अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने के साक्ष्य आये है तथा यह भी जानकारी आयी है कि धनकी जो नारायण की प्रथम पत्नि थी का निधन नारायणराम के निधन से पूर्व हो चुका था। जिससे इनकी कोई सन्तान नहीं होन का उल्लेख आया है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। हिन्दू उतराधिकारी अधिनयम के तहत यह स्थापित है की किसी मृतक हिन्दू के दो पत्नि होने पर उन दोनो का संयुक्त एक हिस्सा होगा और चूकि मृतक की प्रथम पत्नि का मृतक के जीवनकाल मे ही निधन हो चुका है जिससे अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में अधिकार उत्पन्न हो जाते है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत पारलू के खेत खाता संख्या 133, 134, 135,व 191,136 का नामान्तरकरण संख्या 1060 मे नारायणराम पुत्र कल्नाराम की स्थान पर घेवरराम पुत्र नारायणराम व धनकी पत्नि नारायणराम के स्थान पर वरजूदेवी पत्नि नारायणराम संशोधित नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को नामान्तकरण रिमाण्ड किया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......

Scanned by CamScanner